बिहार सरकार

कार्यालय : निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

Website: www.lnjporthohospital.org

आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत् जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अन्तर्गत रोगियों के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 24X7 सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों से कम्प्यूटरीकृत टंकित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग दो लिफाफों में कर, एक बड़े लिफाफें में सील बंद कर व उक्त लिफाफे पर आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत् जेनरेटर परिचालन हेतु निविदा स्पष्ट रूप से अंकित कर निविदा प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अंदर सिर्फ निबंधित डाक से निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को अंतिम तिथि के अगले कार्य दिवस को पूर्वाहन 11.00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय शर्त्ते कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के नाम से रू0 1000/– का डिमान्ड ड्रॉफ्ट (Non-Refundable) बनाकर अपने लेटर पैड के माध्यम से एक आवेदन निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना के कार्यालय कक्ष में जमा करने के पश्चात ही प्राप्त की जा सकती हैं। तत्पश्चात् ही संस्था निविदा डालने के लिए अधिकृत होंगे। विस्तृत जानकारी के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के वेबसाईट पर www.lnjporthohospital.org अथवा www.prdbihar.gov.inपर देखा जा सकता है।

(क) साईलेंट जेनरेटर (शोरूम से निकाली गई नई डी०जी० सेट) स्वचालित 500 KVA से संस्था द्वारा एकरारनामा अवधि तक विद्युत आपूर्ति करने हेतु कार्यो एवं निम्न महत्त्वपूर्ण शर्त्तों की विवरणी निम्नलिखित है :–

1. जेनरेटर बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।
2. जेनरेटर द्वारा आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।
3. प्रत्येक प्वाईट पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की विद्युत आूपर्ति होनी चाहिए।
4. जेनरेटर कनेक्शन पूरे अस्पताल भवन में दिया जाएगा।
5. निविदा में सफल निविदादाता को जेनरेटर परिचालन हेतु **स्वचालित** (Auto Start) **500 KVA** ध्वनि रहित (Silent) शोरूम से निकाली गई नई डी0जी0 सेट कार्यादेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर लगाना होगा तत्पश्चात् ही संस्था के साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा एकरारनाम किया जायेगा।
6. गैर सरकारी प्रेषण संख्या 133 (HS) दिनांक 23.02.2011, स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 9230 दिनांक 05.11.2012 (पत्र संलग्न)

   A. Specification for DG Sets: Diesel Genrating Set complete with ISI Marked diesel emgomes up to 19KW and beyond 19KW it will generally comforming to IS/BS.

   B. Diesel engine:- Fuel tank with capacity12 hrs continous running at full load.

19/06/2024 ... 19-6-24 19.6.24

Scanned with OKEN Scanner

C. Standard Control Panel:- The congrol panel shall be fabricated from steel sheet of minimum 1.5 mm thick duly pre-treated and aesthetically finished. The control panel shall be totally enclosed, dust and vermin proof, floor mounted/wall mounted/skid mounted type. The control panel with degree of protection IP-53 as per is:13947 (part-1) 1993.

7. यदि साइलेंट जेनरेटर खराब होने की स्थिति में अचानक विद्युत बाधित होती न हो के आलोक में कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के अन्दर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् एकरारनामा अवधि तक जेनरेटर परिचालन हेतु एक अतिरिक्त **स्वचालित** (Auto Start) **500 KVA** ध्वनि रहित (Silent) जेनरेटर शोरूम से निकाली गई डी0जी0सेट अस्पताल परिसर में निर्धारित स्थल पर चयनित संस्था द्वारा लगायें गये जेनरेटर सेट के आस-पास पुरी व्यवस्था के तहत् रखना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् उपलब्ध कराई गयी साइलेंट जेनरेटर हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान संस्था को नहीं की जायेगी यानि वैकल्पिक जेनरेटर बिलकुल निःशुल्क रहेगा। यदि एकरारनामा तिथि से 15 दिनों तक जेनरेटर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू 5000/- प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जाएगी। यदि एकरारनामा तिथि से 120 दिनों में संस्था द्वारा शोरूम से निकाली गई साइलेंट जेनरेटर डी0जी0सेट उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में एकरारनामा स्वतः रद् हो जायेगी।

8. साइलेंट जेनरेटर डी०जी० सेट खराब होने की स्थिति में कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए अविलंब वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् जेनरेटर उपलब्ध कराना होगा। यदि 24 घंटे के अन्दर संबंधित जेनरेटर नहीं बनायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू०-5000/- प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

9. अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर एवं अस्पताल भवनों में लगायें गयें सभी प्रकार के बल्ब, तार अथवा बिजली संबंधित सामग्री की किसी भी प्रकार की भी क्षति होती है तो उक्त परिस्थिति में बदलना/मरम्मती एवं रख-रखाव संस्था द्वारा किया जायेगा।

10. अस्पताल प्रशासन द्वारा अस्पताल परिसर में किये जाने वाले सभी तरह के सरकारी कार्यक्रमो हेतु आवश्यकतानुकूल अस्पताल परिसर स्थित भवनों को रंग-बिरंगें झालर लगाने सहित बिजली की समुचित व्यवस्था संस्था द्वारा किया जायेगा।

11. अस्पताल परिसर अन्तर्गत सभी जगहों में प्रतिदिन भरपुर रंग बिरंगें समूचित रौशनी की व्यवस्था, संस्था द्वारा सभी सामग्रियों यथा ब्राण्डेंड कम्पनी का स्टील पोल, तार, बिजली से संबंधित सभी सामग्री एकरारनामा अवधि तक मरम्मति एवं रख-रखाव करना होगा। बल्ब यदि खराब होता है तो उसे 24 घंटे के अन्दर संस्था द्वारा बदलना अथवा मरम्मति नहीं करायी जाती है तो उक्त परिस्थिति में रू0 1000/-प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

12. चयनित संस्था के द्वारा लॉगबुक संधारण करना होगा जिसका प्रारूप अस्पताल प्रशासन द्वारा निर्गत किया जायेगा।

19/6/24 13/6/24 17/04/2024 19/6 15-6-24

Scanned with OKEN Scanner

13.निविदा में सफल निविदादाता को, जेनरेटर परिचालन हेतु 24X7 (एक पाली यानि 8 घंटा × 1 श्रमिक × 3 पाली) के तहत कार्य करने हेतु कुल 3 (तीन) श्रमिकों के लिए (वर्तमान में श्रम विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में निर्धारित मानदेय का भुगतान) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना द्वारा अधिकतम राशि 4,00,000/– (रू० चार लाख) निर्धारित किया गया है जिसमें प्रतिदिन 30 मिनट (तीस) यानी प्रत्येक माह 15 घंटा तक दी जाने वाली जेनरेटर सेवा शुल्क समाहित होगी। 30 मिनट (तीस) यानी प्रत्येक माह 15 घंटा के बाद दी जाने वाली जेनरेटर सेवा का प्रतिघंटा के आधार पर **(जिसकी सम्पुष्टि बिजली विभाग द्वारा कराने के पश्चात ही संस्था को भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना सम्पुष्टि के संस्था को भुगतान देय नहीं होगा)** विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा।

14.वित्तीय निविदा में निविदादाता द्वारा सिर्फ **स्वचालित** (Auto Start) **500 KVA** ध्वनि रहित (Silent) जेनरेटर हेतु प्रतिघंटा के आधार पर ईंधन, मोबिल, सर्विसिंग वगैरह एवं अन्य खर्च को जोड़कर एकमुश्त दर अंकित करना होगा, जिससे न्यूनतम दर के आधार पर चयन किया जायेगा।

15.साईलेंट जेनरेटर (शोरूम से निकाली गई नई डी०जी० सेट) से विद्युत आपूर्ति करने के लिए अस्पताल के मेनपैनल में कनेक्शन करना होगा।

16. जेनरेटर परिचालन हेतु एकरारनामा करने से पूर्व संस्था के नाम से कार्यादेश निर्गत होने के बाद खरीदी गई साईलेंट जेनरेटर (शोरूम से निकाली गई नई डी०जी० सेट) से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र, कैशमेमों, कागजातों की मुल प्रति की छाया–प्रति अस्पताल के कार्यालय कक्ष में जमा करना होगा। तत्पश्चात् ही जेनरेटर परिचालन हेतु संस्था के साथ अस्पताल प्रशासन द्वारा एकरारनामा किया जायेगा।

17.चयनित संस्था द्वारा श्रमिकों के आवास (जो वर्तमान में है) आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) एवं उक्त जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (आवास एवं चरित्र दोनों प्रमाण–पत्र) सहित श्रमिकों का आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति एकरारनामा से पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा।

18.प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों का श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान संस्था द्वारा विपत्र के साथ श्रमिकों को संस्था द्वारा कि गई भुगतान संबंधित उक्त बैक पासबुक सहित ESI, EPF वगैरह की कटौती के (छायप्रति संलग्न करना होगा) करने के पश्चात् ही अस्पताल प्रशासन द्वारा संस्था को उक्त माह का भुगतान किया जायेगा निर्धारित समय पर संस्था द्वारा श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त परिस्थिति में श्रमिकों को भुगतान करने कि तिथि तक रू0 5000/–प्रतिदिन के दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र पर अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(ख) गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का तकनीकी निविदा हेतु शर्तों एवं योग्यताओं से संबंधित सभी प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति तकनीकी निविदा आवेदन (प्रारूप में प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित कागजातों की संख्या दर्शाते हुए) के साथ संलग्न करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

1. गैर सरकारी संस्थाओं का सोसाईटी एक्ट 21,1860 के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा कम्पनियों का कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के अधीन निबंधित होना चाहिए अथवा फर्मो/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/ संवेदकों का बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधित होना चाहिए, का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
2. निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रू०–1,00,000/– (एक लाख रू०) मात्र (चयनित संस्था का डिमान्ड ड्रॉफ्ट एकरारनामा अवधि तक Non-Refundable) का राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्रॉफ्ट जो Director, Loknayak Jaiprakash Narayan Hospital, Rajbansinagar, Patna. के नाम देय होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
3. ESI निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
4. EPF निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
5. बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र सलंग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
6. गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों के नाम का पैन कार्ड की छाया–प्रति सलंग्न करना होगा। अगर निविदादाता फर्मो/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का प्रोप्राईटर हैं तो निविदादाता का पैन कार्ड की छाया–प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
7. TIN No. एवं GST No. निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए। GST अद्यतन होना चाहिए।
8. उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय) द्वारा निर्गत उधोग आधार निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।
9. निविदादाता को अपने संस्था के नाम से खोली गई Current Account के तहत बैंक द्वारा निर्गत 4,00,000/-, रूपये तक का Solvency Certificate संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।
10. Current Account (सिर्फ एक बैंक का स्टेटमेन्ट) खोलने की तिथि से निविदा प्रकाशन तिथि के बाद तक का बैंक स्टेटमेन्ट की प्रत्येक प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले के बैंक खाते का होना चाहिए।
11. विगत तीन वर्षो का आयकर Return (Assessment Year AY- 2020-21, 2021-22, 2022-23) प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
12. आउटसोर्सिंग के तहत व्यवसाय में विगत तीन Financial Year (FY- 2020-21, 2021-22, 2022-23) प्रति वर्ष टर्न ओवर 50,00,000/- (पचास लाख रूपये) होने का मान्यता प्राप्त चार्टेड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। अगर आउटसोर्सिंग के व्यवसाय में विगत तीन वर्षो का ऑडिट रिपोर्ट नहीं होगा तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
13. बिहार विद्युत शुल्क ऐक्ट "1948" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

14. संस्था द्वारा बिहार विद्युत शुल्क ऐक्ट "1948" के अधीन निबंधित माह से लेकर GST लागु होने तक की जमा की गई सभी Return की Acknowledgement की प्रत्येक प्रति संलग्न करना होगा।

15. निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि उन पर या उनकी संस्था पर किसी प्रकार का न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं न्यायालय या थाना द्वारा दण्डित नहीं किया गया है तथा संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है। शपथ –पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

16. निविदादाता द्वारा नोटरी के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना होगा कि श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में श्रमिकों को श्रमिकों के बैंक खाता में संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा। तत्पश्चात् ही उक्त माह का भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें, शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का बना होना चाहिए।

17. निविदादाता के आवास (जो वर्तमान मे है)। आवास (स्थाई/अस्थाई) का आवासीय प्रमाण–पत्र (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

18. निविदादाता का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले अथवा बाद का बना होना चाहिए।

19. निविदादाता का आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना होगा, जो निविदा प्रकाशन तिथि के पहले का बना होना चाहिए।

(ग) (01) शर्त (क) क्रमांक 12 में दर्शाई गई कार्यो के निष्पादन उपरान्त मासिक भुगतान अधिकतम राशि 4,00,000/– (चार लाख रूपये) निर्धारित किया गया है जिसमे संस्था द्वारा न्यूनतम दर अंकित करना होगा।

(02) वित्तीय निविदा में 500 KVA का प्रतिधंटा के आधार पर सभी खर्च यथा– ईंधन, मोबिल, सर्विसिग एवं अन्य खर्च को जोडकर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।

➢ वित्तीय निविदा में A एवं B का कुल योग संस्था द्वारा अंकित न्यूनतम दर को जोड़कर L1 का चयन किया जायेगा।	➢ 500 KVA
A) शर्त (क) के क्रमांक 13 में दर्शाई गई कार्यो की निष्पादन उपरान्त मासिक भुगतान अधिकतम राशि चार लाख रूपयें निर्धारित किया गया है।	➢
B) स्वचालित 500 KVA का प्रतिधंटा के आधार पर सभी खर्च यथा– ईंधन, मोबिल, सर्विसिग एवं अन्य खर्च को जोडकर एकमुश्त दर अंकित करना होगा।	➢
(A+B) कुल योग :-	

(घ) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शर्तों की पूर्ण विवरणी :–

1. निविदा आवेदन में किसी प्रकार का कटिंग अथवा हाथ से लिखा हुआ निविदा आवेदन (तकनीकी/वित्तीय) अथवा ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा अन्यथा उक्त निविदा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

19/06/2024 19/06/2024 15-6-24 19/6

Scanned with OKEN Scanner

2. कर्मियों/श्रमिकों की उम्र अधिकतम 60 वर्ष से ज्यादा एवं न्यूनतम 21 वर्ष से कम नहीं होगा। कर्मियों की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए।
3. तकनीकी निविदा बिन्दुवार शर्त्तोनुकूल किसी निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन के साथ एक भी शर्त्त पूरा नहीं करते है तो उक्त परिस्थिति में उक्त निविदादाता का तकनीकी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। यथा सभी प्रमाण–पत्रों को निविदा आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. तकनीकी निविदा आवेदन के साथ संलग्न तकनीकी प्रमाण–पत्रों का भौतिक सत्यापन के दौरान निविदादाता द्वारा सभी शर्तों को पूरा करता है तो उक्त परिस्थिति में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा।
5. निविदा आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्र निविदा प्रकाशन के पूर्व का निबंधित अथवा सेवा विस्तार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वैसे प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें जिसका निबंधन अथवा सेवा विस्तार के लिए संबंधित विभाग में आवेदन (अप्लाई फॉर) दिया गया हो।
6. जेनरेटर परिचालन से संबंधित निविदा में दर्शाई गई सभी शार्तोनुकूल सेवा उपलब्ध कराने हेतु आनेवाली सभी प्रकार का खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा (इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा)।
7. आउटसोर्सिंग के तहत् की जा रही कार्यों की गुणवता से संबंधित अस्पताल के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी से की गयी लिखित शिकायत आवेदन पर अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा जाँचोंपरान्त ही निविदादाता को दण्डित अथवा आर्थिक दण्ड अथवा कार्यमुक्त किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना जाँचोंपरान्त संस्था पर कोई कार्यवाही नहीं किया जायेगा।
8. निविदा में दिये गये कार्यों की विवरणी के अनुरूप मासिक भुगतान के अतिरिक्त स्वचालित 500 KVA जेनरेटर परिचालन में प्रतिघंटा कम्पनी द्वारा निर्धारित ईंधन, मोबिल की खपत, सर्विसिग एवं सभी खर्च के आधार पर दर एकमुश्त अंकित करना होगा। उक्त कार्य हेतु कुल राशि बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. यह कार्य आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जा रहा है। कार्य में संलग्न किसी भी कर्मी/श्रमिकों का सरकारी कर्मचारी के रूप में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. किये गये कार्य का भुगतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर ब्याज देय नहीं होगा। इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार की अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। यदि संस्था बीच में कार्य बाधित करते है तो उक्त परिस्थिति में संस्था का अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त कर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. आवश्यक कर कटौती के बाद ही भुगतान होगा।
12. स्वचालित साईलेन्ट जेनरेटर 500 KVA डी0जी0 सेंट अस्पताल परिसर में रखने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा कमरा अथवा सेड सहित समतल जमीन से 03 फीट उचाई तक सिमेंटेड बेस बनाकर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में निविदादाता द्वारा परिसर के अन्दर कोई भी स्थाई निर्माण संबंधित कार्य अपने स्तर से नहीं कराया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

13. निविदा आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण–पत्र/कागजात को निर्गत विभागों द्वारा वित्तीय निविदा खोलने से पूर्व/पश्चात् अथवा कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व/पश्चात् अथवा एकरारनामा होने के पूर्व/पश्चात् अथवा किसी भी समय जांचोपरान्त फर्जी पाई जाती है अथवा शपथ–पत्र में गलत सूचना देते हैं तो निविदादाता के विरूद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना में एफ०आई०आर० दर्ज करते हुए कानूनी कार्यवाई किया जायेगा तथा तत्काल उक्त संस्था को अगले 10 वर्षो तक के लिए काली सूची में नाम दर्ज करते सहित निविदा आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

14. कर्मियों एवं संचालकों को अस्पताल कर्मियों के प्रति व्यवहार मृद एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। यदि कर्मियों का व्यवहार अस्पताल प्रशासन द्वारा अच्छा नहीं पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में ऐसे कर्मियों को तत्काल हटाते हुए नए कर्मियों को निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

15. निविदा में सफल होने के पश्चात् निविदादाता को अद्योहस्ताक्षरी के साथ 1000/–NON JUDICIAL STAMP पर एकरारनामा करना होगा एवं एकरारनामा होने के 15 दिनों के अन्दर निविदा शर्त्तोनुकूल कार्य प्रारंभ करना होगा।

16. अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा सेवा संतुष्टि के आधार पर इसे विस्तारित किया जा सकता है।

17. अस्पताल प्रशासन के द्वारा बिना कारण बताते हुए निविदा पुर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा एवं अस्पताल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा पटना उच्च न्यायालय, पटना में करना होगा।

18. श्रमिक कार्य करने की अवधि के दौरान निर्धारित पोशाक में कार्य करेंगे जिसकी उपस्थिति अस्पताल प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई भी पदाधिकारी/कर्मी के पास संधारित होगा।

19. अस्पताल परिसर अन्तर्गत संस्था द्वारा रखी गई स्वचालित साइलेंट जेनरेटर डी0जी0सेट सहित परिसर एवं भवनों में लगाई गई पोल वगैरह एवं अन्य सामग्री **एकरारनामा अवधि समाप्त होने के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अस्पताल परिसर से हटाना होगा।** तत्पश्चात् ही 36 वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा की गयी डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान किया जायेगा। अन्यथा अस्पताल प्रशासन द्वारा जेनरेटर सेट सहित पुरी सामग्री जब्त करते हुए संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने सहित कानुनी कार्रवाई किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज करने के आलोक में न्यायालय के निर्णय आने कि तिथि तक एकरारनामा समाप्त होने कि तिथि से रू. 5000/– प्रतिदिन कि दर से दण्ड के रूप में संस्था से प्राप्त 36 वां माह का विपत्र एवं अग्रधन के रूप में जमा कि गई डिमाण्ड ड्रॉफ्ट पर अंकित राशि मे से कटौती कि जायेगी।

20. अगर दो या दो से अधिक निविदादाता का वित्तीय निविदा में दर समान पाया जाता है तो उक्त परिस्थिति में लॉटरी के माध्यम से कार्य आवंटन हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

20/06/2024 19/6 19/06/24 19-6-24 19/6/24

Scanned with OKEN Scanner

नोट :–

1. निविदादाताओं को निर्देश दिया जाता है की तकनीकी निविदा में मांगे गए उपरोक्त कागजात के अतिरिक्त अन्य कोई भी कागजात संलग्न नही करेंगे एवं शपथ–पत्र क्रमवारनुकूल अलग–अलग बना होना चाहिए।

2. जिस संस्था का बिहार राज्यान्तर्गत किसी भी स्तर के सरकारी अस्पतालों सहित भारत सरकार/बिहार सरकार के किसी भी विभाग/कार्यालय में विभिन्न प्रकार का आरोप यथा (काली सूची में दर्ज किया गया हो अथवा कार्य करने की लापरवाही के कारण विपत्र में से राशि की कटौती किया गया हो अथवा फर्जी तरीके से राशि निकालने का उजागर हुआ हो अथवा निविदा आवेदन के साथ संलग्न की गई कागजातो/प्रमाण–पत्रों का सक्षम पदाधिकारियों/सक्षम संस्थान/ सक्षम कार्यालय द्वारा किया गया भौतिक सत्यापन में फर्जी/भ्रामक/आधा–अधुरा पाये जाने का आरोप) लगा हो तो वे इस निविदा में भाग नहीं ले सकते है।

3. निविदा आवेदन के साथ शर्त्त क, ख, घ, के सभी क्रमांक संबंधित प्रमाण–पत्रों की स्व0 अभिप्रमाणित छाया–प्रति का क्रमवार नम्बरिंग (स्व0 अभिप्रमाणित, क्रमवार, नम्बरिंग नहीं होने के कारण निविदा आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा) करके निविदा संबंधित सभी कागजातों को लिफाफा में सीलबंद कर जमा करना होगा।

4. नोट एवं निविदा में दर्शाई गई सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं को अनिवार्य समझा जाए, अगर निविदादाता द्वारा इसका उलंघन किया जाता हैं तो उक्त परिस्थिति में संस्था का तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोलने अथवा कार्यादेश निर्गत होने अथवा एकरारनामा होने के पश्चात् भी किसी भी समय कार्यादेश एवं एकरारनामा रद करते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई सभी भुगतान की वसुली कर सरकारी खजाना में जमा करते हुए संस्था को काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि जब्त करते हुए कानुनी कार्रवाई की जाएगी।

19/6/24
निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

1. प्रबंधक, BMISCL. बिहार, पटना के द्वारा नामित प्रतिनिधि –
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना–
3. राज्य कर संयुक्त आयुक्त, पटना के नामित प्रतिनिधि– Anand 13/06/2024 [Abhishek Anand]
4. जिला पदाधिकारी, पटना के नामित प्रतिनिधि– रंजन लाल निगम (कार्यपालक दंडाधिकारी) पटना सदर
5. श्रम अधीक्षक, पटना–
6. सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार –
7. डॉ0 शिवेन्द्र कुमार सिंह, परामर्शी, एल0एन0जे0पी0–
8. सरसिज नयनम, रेजिडेंट, एल0एन0जे0पी0–
9. डॉ0 मनीष कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, एल0एन0जे0पी0– 19-6-24

तकनीकी निविदा का प्रारूप

क्रम सं0	प्रमाण पत्रों, ड्रॅाफ्ट एवं शपथ पत्रों की पूरी विवरणी	निबंधन सं0/पत्रांक सं0/अन्य संख्या वगैरह	कार्यालय द्वारा निर्गत तिथि	कागजातों का क्रमवार क्रमांक	कागजातों की कुल संख्या
01	तकनीकी निविदा आवेदन (पत्रांक दिनांक सहित)।			01 To	
02	संस्था का निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
03	अग्रधन राशि, 01,00,000/ रूपये का डिमाण्ड ड्रॅाफ्ट			To	
04	ESI निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
05	EPF निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
06	बिहार शॉप्स एण्ड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट "1953" के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
07	पैन कार्ड की प्रति।		X	To	
08	GST निबंधन प्रमाण–पत्र।			To	
09	उद्योग विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र			To	
10	Solvency Certificate 1,00,000/- लाख रूपये का			To	
11	Current Account बैंक स्टेटमेंट एकाउन्ट नं० सहित।			To	
12	विगत तीन वर्षों (Assessment Year) का आयकर रिटर्न की प्रति। — 2020-21 :-			To	
	2021-22 :-			To	
	2022-23 :-			To	
13	विगत तीन वर्षों Financial Year प्रति वर्ष टर्न ओवर 50,00,000,/- (पच्चास लाख) रूपये की प्रति वर्ष। — 2020-21 :-			To	
	2021-22 :-			To	
	2022-23 :-			To	
14	संस्था पर किसी प्रकार का, न्यायालय या थाना में वाद लंबित नहीं हैं एवं ना हीं किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है तथा ना हीं संस्था को किसी भी सरकारी संस्थानों द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है।			To	
15	श्रम नियमावली के अन्तर्गत एक श्रमिक एक दिन के एक पाली यानी (8 घंटा) ही कार्य करेगें एवं श्रम नियमावली के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा वर्त्तमान में निर्गत अधिसूचना में दर्शाई गई निर्धारित दर पर एवं			To	

Scanned with OKEN Scanner

	भुगतान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगें।				
16	संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों का आवास (स्थाई/अस्थाई, जो वर्तमान मे है) का अद्यतन आवासीय (सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) प्रमाण–पत्र।			To	
17	संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों का पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र।			To	
18	संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों का आधार कार्ड की प्रति।		X	To	
19	संस्था के सभी पद के पदधारक एवं सदस्यों का पैन कार्ड की प्रति।			To	
				कुल योगः–	

निविदादाता की पूर्ण विवरणी

01	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों का पूरा पता :–	
02	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पद नाम :–	
03	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का पूरा नाम :–	
04	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का जन्म तिथि :–	
05	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता के पिता का नाम :–	
06	गैर सरकारी संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/प्रतिष्ठानों/सर्विस प्रोभाईडरों/संवेदकों के तरफ से निविदा आवेदन समर्पित करने वाले निविदादाता का मोबाईल न० :–	

निविदादाता का हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner